पंजीकृत

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सप्तम मण्डल गोरखपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र –2, समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।
पिन कोड– 110092

पत्रांक : मा0–3/ /2015–16 दिनांक 15-12-2016

विषय– आर0पी0एम0 एकेडमी, ग्रीन सिटी, गोरखनाथ, गोरखपुर द्वारा सी0बी0एस0ई0,नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण – पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फॉर दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण – पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने के निर्देश है। मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 14.12.2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार आर0पी0एम0 एकेडमी, ग्रीन सिटी, गोरखनाथ, गोरखपुर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण – पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है–

1. विद्यालय के पंजीकृत सोसाइटी का समय –समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें, और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी, और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी0बी0एस0ई0 बोर्ड दिल्ली से प्राप्त होती है, जो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतन मानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
7. राज्य सरकार/ विभाग द्वारा समय – समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन /परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।